(ख) और (ग) किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण तथा नियंत्रण की योजना के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जहां तक बेसहारा बच्चों के कल्याण का संबंध है भाग लेने वाले गैर सरकारी संगठनों को सीधे सहायता अनुदान प्रदान किए जाते है। पिछले तीन वर्षो के दौरान दोनों योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे क्रमशः विवरण –I तथा II पर दिए गए है। (नीचे देखिए) नौवीं योजना अवधि के दौरान इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत कबरेज का और आगे विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है।

**विवरण-I**

वर्ष 1993-94 से वर्ष 1995-96 की अवधि के लिए किशोर सामाजिक कुंसमजन तथा नियंत्रण के योजना के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान ( राज्यवार) दर्शाने वाला विवरण ।

(रु0 लाख में)

| क्र0 सं0 | राज्य | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | असम | 10.47 | 10.00 | 1.63 |
| 2. | गोवा | 27.99 | | 0.81 |
| 3. | गुजरात | | 7.93 | |
| 4. | हरियाणा | 1.32 | 4.83 | |
| 5. | केरल | | 28.18 | 8.49 |
| 6. | मध्य प्रदेश | | 100.71 | |
| 7. | मेघालय | 1.02 | 2.78 | 2.81 |
| 8. | मिजोरम | 0.48 | 26.68 | 2.87 |
| 9. | नागालैंड | 1.41 | 3.89 | 2.59 |
| 10. | उडीसा | 0.55 | 1.61 | |
| 11. | पंजाब | 23.58 | 15.65 | 3.20 |
| 12. | राजस्थान | 1.97 | 2.23 | |
| 13. | सिक्किम | 0.21 | | |
| 14. | तमिलनाडु | | | 0.77 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | | 45.15 | |
| 16. | पश्चिमं बंगला | 41.61 | 50.38 | 46.76 |
| | कुलः | 110.61 | 300.02 | 69.93 |

**विवरण**

वर्ष 1993-94 से वर्ष 1995-96 की अवधि के लिए बेसहारा बच्चों के लिए कल्याण की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान ( राज्यवार ) दर्शाने वाला विवरण।

(रु0 लाख में)

| क्र0 सं0 | राज्य | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 0.62 | 22.17 | 21.08 |
| 2. | असम | | 3.08 | 3.46 |
| 3. | गुजरात | 8.05 | 22.92 | 25.04 |
| 4. | कर्नाटक | 6.44 | 22.09 | 25.04 |
| 5. | केरल | | 1.85 | 3.37 |
| 6. | मध्य प्रदेश | | 9.23 | 16.38 |
| 7. | महाराष्ट्र | 17.11 | 44.42 | 20.09 |
| 8. | मणिपुर | | 5.54 | 3.70 |
| 9. | मिजोरम | | 1.23 | |
| 10. | उडीसा | | 1.23 | 6.76 |
| 11. | राजस्थान | | 2.47 | 6.78 |
| 12. | तमिलनाडु | 20.65 | 42.37 | 19.04 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 12.33 | 22.65 | 14.80 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 27.72 | 76.96 | 91.96 |
| 15. | दिल्ली | 18.22 | 23.53 | 34.96 |
| | कुल; | 111.14 | 301.74 | 284.48 |

**अल्पसंख्यक वर्गो की शिक्षा, आर्थिक उत्थान के सम्बन्ध में आकलन**

2391. **श्री इकबाल सिंहः** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक वर्गो के लोगों की शिक्षा और उनके आर्थिक उत्थान और सरकारी नौकारियोम में उनकी प्रतिशतता के संबंध में कोई आकलन अथवा सम्प्रेक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण है; और

(ग) अल्पसंख्यक वर्गो के लोगो के उत्थान के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रभावी और ठोस उपाय किये जा रहे है?

**कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया)**: (क) से (ग) सरकार द्वारा कोई समीक्षा नहीं की गई है। चूकि धर्म के आधार पर भार्तियां नहीम की जाती है इसलिए धर्मवार भर्ती से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते है। तथापि, भारत सरकार द्वारा शिक्षा विभाग तथा कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अल्पसंख्यक लोगों के उत्थान के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यन्वित की जा रही है:-

(1) शैक्षित रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम:- इस योजना को वर्ष 1993-94 में शैक्षिक रूप से उन पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जहां प्रारंभिक शिक्षा के लिए समुचित प्रावधान नहीं है आधारभूत शैक्षित तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1993-94 में शुरू की गई थी। आठवीं योजना अवधि में 16.23 करोड़ रुपए के आवंटन में से इस योजना के अंतर्गत 8.97 करोड़ रुपए ई राशि व्यय की गई है।

(2) मदरसे तथा मकतबों का आधुनिकीकरण:- यह योजना अतिरिक्त विषय अर्थात्: विज्ञान, गाणित, अंग्रेजी आदि के अतिरिक्त विषयों को शुरू करने के उद्देश्य रो वित्तीय सहायता प्रदान करके मदरसे के छात्रों को आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करने के लिए है। आठवीं योजना में 1.00 करोड़ रु0 के आबंटन के मुकाबले इस स्कीम में 1.72 करोड़ रु0 की राशि का व्यय किया गया।

(3) सामुदायिक पालिटेक्रिक की योजना : - यह योजना वर्ष 1978-79 में शुरू की गई और पहचान की गई 100 से अधिक तकनीकी तथा व्यवसायिक गैर पांरपारिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार अवसरों के सृजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिक के प्रयोग के लिए केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए सामुदायिक पालिटेक्रिकों की परिकल्पना इसमें की गई है।

(4) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1994 मेम 500 करोड़ रुपए की प्रधिकृत पूंजी के साथ की गई जिसमें से केन्द्र सरकार का हिस्सा 125 करोड़ है। यह निगम अल्पसंख्यकों के बीच उन पिछड़े वर्गो के परिवारों को स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना करने के लिए ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसकी वार्षिक आय गरीबी की देखा के दोगुना नीचे है जिसकी वर्तमान दर 20000/- रुपए प्रति वर्ष मानी गई है। एन0एम0एफ0डी0सी0 समस्त देश में राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा अपनी योजनाओं की कार्यन्वित करता है।

(5) बहु क्षेत्रीय विकास की योजनाओं की यह स्कीम पूरे देश में स्थित 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे आर्थिक कार्यकलापों की पहचान के उद्देश्य से ऐसे कार्यकलापों को चलाने के लिए अपेक्षित क्रेडिट, तकनीकी प्रशिक्षण तथा विपणन समर्थन के मूल्यांकन से और उन तरीकों, जिनके द्वारा उनका प्रबंध किया जा सकता हो के उक्त से 1995-96 के दौरान आरंभ की गई । इस योजना को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यन्वि किया जाता है।

(6) कमजोर वर्गो के लिए आर्थिक मानदंडों पर आधारित परीक्षा पूर्व कोचिंग की योजना को प्रतिवर्ष 2400/- रु0 की आय सीमा के साथ लक्षित समूहों वाले अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए वर्ष 1991-93 से संपूर्ण देश में कार्यन्वित किया जा रहा है।

**Hostel Facilities to Scheduled Tribe Boys and Girls in Gujarat**

2392. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have received proposals from the State Government of Gujarat for providing hostel facilities to Scheduled Tribe boys and girls in the State:

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any action has been taken thereon and funds released as per the demand of the State Government;

(d) if so, the details thereof, if not, the reasons therefor; and

(e) other measures taken/to be taken by Government to provide hostel facilities in ST boys and girls in Gujarat?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA) (a) to (d) Yes, Sir. On the request of the State Government,